न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 07/2018

1. गोपाल
2. बाबूलाल
3. गिर्राज
4. सतीश
   पिसरान रामकिशोर
5. नाथी पत्नि रामकिशोर
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी बेरावास तहसील दौसा जिला दौसा

...अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. कान्ति पत्नि गजानंद
3. शंभूदयाल पुत्र रामप्रसाद
4. रामकरण पुत्र रामप्रसाद
5. रमेशचन्द पुत्र रामप्रसाद
   जाति ब्राह्मण निवासी बेरावास तहसील दौसा जिला दौसा

..रेस्पो0

प्रार्थना –पत्र प्रारम्भिक आपत्ति

उपस्थितिः– 1. श्री जगजीवन राम ..., अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 से 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.3.2025

1. संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित तकास्मा आदेश दिनांक 08.03.2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील के चलते दिनांक 26.3.2019 को अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 से 05 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति पेश की गई। प्रारम्भिक आपत्ति संलग्न पत्रावली की गई व अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब दिनांक 15.10.2019 को पेश किया गया जिसकी प्रति अधिवक्ता अपीलांट्स को दी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रारंभिक आपत्ति पर बहस सुनी गई।
2. अधिवक्ता प्रारम्भिक आपत्ति कर्ता/रेस्पो सं0 2 से 5 ने बहस में कथन किया कि उनवानी अपील तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 8.3.2018 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 28.5.2018 को पेश की गई है। तहसीलदार दौसा का आदेश दिनांक 8.3.2018 सहमति के आधार पर पारित आदेश है। सहमति के आधार पर पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील का प्रावधान नहीं है। कानून से सहमति के आधार पर पारित आदेश के खिलाफ अपील को वर्जित किया हुआ है। इसलिए यह अपील कानून वर्जित होने की वजह से प्रथम दृष्ट्या ही काबिले खारिज है। यह अपील तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.3.2018 के खिलाफ पेश की गई है। उक्त सहमति पर कुरजानामे पर अपीलांट्स ने हस्ताक्षर करके सहमति के आधार पर विभाजन करवाया है। उक्त विभाजन का ज्ञान अपीलांट्स को दिनांक 8.3.2018 से ही है। तहसीलदार के आदेश/निर्णय के खिलाफ अपील की मियाद 30 दिन होती है जबकि यह अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर दिनांक 28.5.2018 को 2 माह 20 दिवस बाद

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:20 IST
Reason: SelfAttested

पेश की गई है जो कि प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर होने की वजह से काबिले खारिज है। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील व धारा 5 कानून मियाद के आवेदन पत्र में नकल मिलना दिनांक 23.4.2018 को बताया है जिससे भी 35 दिन पश्चात यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है। इस 35 दिन की देरी का भी कोई विवेचन अपीन अपील व धारा 5 में नहीं किया गया है। जबकि एक एक दिन की देरी का विवेचन करना आवश्यक होता है। उक्त अपील अपीलांट्स ने मैलाफाईड कानून में वर्जित होते हुए मियाद बाहर पेश की गई है जो कि प्रथम दृष्ट्या ही काबिले खारिज है। अतः प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता प्रारंभिक आपत्तिकर्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2013(1)आरआरटी 444 की प्रति प्रस्तुत की।

3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस में दलील दी कि तहसीलदार दौसा द्वारा आपसी सहमति के आधार पर गलत तरीके से तकास्मा किया है तो उसके विरूद्ध अपील की जा सकती है। अपीलांट्स ने अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की है। रेस्पों. ने प्रकरण को महज लंबा खींचने की गरज से यह प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की है। अतः रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति खारिज फरमाई जावे।

4. हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रारम्भिक आपत्ति का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रारम्भिक आपत्ति का मूल विषय यह है कि कानूनन सहमति से जो तकास्मा होता है उसकी अपील पोषणीय नहीं है अथवा नहीं। विचाराधीन प्रारम्भिक आपत्ति का मूल विषय यह है कि कानूनन सहमति से जो तकास्मा होता है उसकी अपील पोषणीय नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त के खंडन में कोई न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किये गये। हम अधिवक्ता प्रारंभिक आपत्तिकर्ता के कथनों से सहमत है कि कानूनन सहमति से जो तकास्मा होता है उसकी अपील पोषणीय नहीं है। हम अधिवक्ता प्रारम्भिक आपत्तिकर्ता (रेस्पो0) द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पो0 गजानन्द, शंभूदयाल वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाती है। विचाराधीन अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:20 IST
Reason: SelfAttested